Member of Parliament Local Area Development Scheme सुधार परिपत्र सं.24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सं.सी-06/2011-एमपीलैड्स

Dated......................30 मई, 2012

सेवा में,

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव
आयुक्त, नगर निगम दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई
जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, सभी जिले ।

विषय:- एमपीलैड योजना - सहायता-प्राप्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करना ।

महोदय/महोदया,

सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं को सहायता की अनुमति के संबंध में विभिन्न स्टेक-होल्डरों द्वारा विचार व्यक्त किया गया है । एमपीलैड्स निधियों के संवर्धित आबंटन को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की गई है और निम्नलिखित पैरा, जिसे एमपीलैड योजना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.37 के रूप में जोड़ा जा सकता है, के अनुसार एमपीलैड योजना के तहत ऐसे कार्यकलापों की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:-

> "3.37 **सहायता-प्राप्त संस्थाओं को सहायता प्रदान करना** संसद सदस्य सहायता-प्राप्त संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं बशर्ते कि जिला प्राधिकारी इस आशय का एक प्रमाणपत्र देने की स्थिति में हो कि उक्त संस्थाएं सरकार के पूर्ण नियंत्रण के अधीन हैं और उनका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है तथा उन्हें सरकारी संस्थाओं के समकक्ष माना जा सकता है । ऐसी सहायता-प्राप्त संस्थाओं को एमपीलैड योजना के तहत अनुमत्य सभी कार्यकलापों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने की अनुमति होगी ।
>
> 3.37.1 अन्य सभी सहायता-प्राप्त संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं हैं किन्तु जो सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधान के तहत शामिल की जानी चाहिए ।

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(ए.के.चौधरी)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।